

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 24-01-2025

### विषय सूची

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के 10 वर्ष  
विभेदक मूल्य निर्धारण (Differential Pricing)  
मोस्ट फेवर्ड स्टेट्स (MFN)5  
मृत्युदंड में सबसे दुर्लभ सिद्धांत  
भारत केन्या का सबसे बड़ा चाय आयातक बन गया  
2025 में बच्चों के लिए संभावनाएँ: बच्चों के भविष्य के लिए लचीली प्रणालियों का निर्माण  
नाइट्रोजन उपयोग दक्षता  
**संक्षिप्त समाचार**  
नैवाशा झील (Lake Naivasha)  
रोडामाइन बी (Rhodamine B)  
2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत (GI) टैग  
धनौरी जलाशय (Dhanauri Water Body)  
डीप ओशन मिशन के अंतर्गत भारत की प्रथम मानव-संचालित पनडुब्बी  
मेमेकोइन्स (Memecoins)  
कश्मीर चिनार (Kashmir Chinars )  
CBP वन एंटी प्रोग्राम

## बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के 10 वर्ष

### संदर्भ

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) आंदोलन और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर, भारत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, बालिकाओं को सशक्त बनाने और बाल लिंग अनुपात (CSR) में सुधार लाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी पहलों का एक दशक मना रहा है।
  - 22 जनवरी 2025 से 8 मार्च 2025 (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) तक चलने वाले इस समारोह में मिशन वात्सल्य पोर्टल (बाल कल्याण के लिए) और मिशन शक्ति पोर्टल (महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के लिए) का शुभारंभ शामिल है।

### बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) का परिचय

- **उत्पत्ति:** 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य सामाजिक मानदंडों के कारण प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियों (2011 की जनगणना) के निराशाजनक CSR के जवाब में था।
- **उद्देश्य:** बाल लिंग अनुपात (CSR) में सुधार करना।
  - लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
  - लिंग-पक्षपाती, लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकना।
  - लड़कियों के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
  - लड़कियों की शिक्षा और भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **कार्यान्वयन:** 100% केंद्रीय सहायता के साथ राज्यों द्वारा निष्पादित।
  - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए कोई प्रावधान नहीं।
- **शामिल मंत्रालय:** महिला और बाल विकास।
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण।
  - शिक्षा (पूर्व में मानव संसाधन विकास)।

### सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के बारे में

- **BBBP के एक भाग के रूप में प्रारंभ किया गया:** इसका उद्देश्य परिवारों को कर-बचत, उच्च-रिटर्न बचत खातों के माध्यम से उनकी शिक्षा और कल्याण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके बालिकाओं के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है।
- **पात्रता:** 10 वर्ष से कम आयु की बालिका वाले परिवार।
  - बालिका के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) खोला जाना चाहिए।
  - केवल निवासी भारतीय ही पात्र हैं; अनिवासी भारतीय (NRIs) इससे बाहर हैं।

### दशक भर की उपलब्धियाँ

- **बेहतर बाल लिंग अनुपात (CSR):** जागरूकता अभियान और गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 के प्रवर्तन ने CSR को बढ़ाने में सहायता की।
  - जन्म के समय CSR 918 (2014-15) से बढ़कर 933 (2022-23) हो गया।

- **स्कूलों में महिला नामांकन में वृद्धि:** निःशुल्क और रियायती शिक्षा, बेहतर बुनियादी ढाँचा (जैसे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय), और SSY जैसी छात्रवृत्ति ने ड्रॉपआउट दरों को कम किया।
  - कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे कार्यक्रमों ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन को अत्यंत सीमा तक बढ़ाया।
- **महिला उद्यमी और नीतिगत सामंजस्य:** महिला कल्याण बजट में 200% से अधिक की वृद्धि हुई, जो ₹0.97 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2014) से बढ़कर ₹3.10 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2025) हो गया।
  - 2.3 करोड़ MSMEs अब महिलाओं के नेतृत्व में हैं।
  - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% ऋण महिलाओं द्वारा लिए जाते हैं।
  - जन धन योजना (30 करोड़ महिलाओं के लिए बैंकिंग सुविधा) और लखपति दीदी (1 करोड़ महिलाओं को वार्षिक 1 लाख रुपये से अधिक कमाने में सहायता करना) जैसी पहलों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया।
- **जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना:** सेल्फी विड डॉटर और राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसे अभियानों ने समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को प्रेरित किया।
  - पंचायती राज संस्थाओं और जमीनी स्तर के संगठनों ने बालिकाओं के जन्म का जश्न मनाया और लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया।

### चुनौतियाँ

1. **गहरी जड़ें जमाए पितृसत्ता:** सामाजिक मानदंड पुरुषों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे लैंगिक समानता के लिए लगातार चुनौती बनी रहती है।
2. **कार्यान्वयन में अंतराल:** जिलों में BBBP का असमान कार्यान्वयन मजबूत शासन और निगरानी की आवश्यकता को प्रकट करता है।
3. **संसाधन आवंटन:** जागरूकता अभियानों पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपर्याप्त आवंटन हुआ।

### नव गतिविधि

- **नए पोर्टल:**
  - **मिशन वात्सल्य:** बाल कल्याण और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **मिशन शक्ति:** महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
- **सुकन्या समृद्धि योजना में वृद्धि:**
  - अधिक से अधिक परिवारों ने लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वित्तीय साधन के रूप में SSY को अपनाया है।

### आगे की राह

- **बुनियादी स्तर के कार्यक्रमों को मजबूत करना:** दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए समुदाय-संचालित पहलों का विस्तार करना।
- **शिक्षा के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना:** लड़कियों के लिए बेहतर छात्रवृत्ति एवं सुविधाओं सहित माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।

- **महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करना:** घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और तस्करी से निपटने वाली वर्तमान योजनाओं के साथ BBBP को एकीकृत करना।
- **समग्र संसाधन आवंटन:** दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में संतुलित वित्तपोषण।
- **नवीन वित्तीय सहायता:** आसान पहुँच और ट्रेकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करके SSY को बढ़ावा देना।

Source: TH

## विभेदक मूल्य निर्धारण (Differential Pricing)

### समाचार में

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्मार्टफोन के प्रकार के आधार पर टैक्सी सेवा देने वाली कम्पनियों ओला और उबर द्वारा अपनाई गई कथित भिन्न मूल्य निर्धारण प्रथाओं पर चिंता व्यक्त की है।

### विभेदक मूल्य निर्धारण क्या है?

- विभेदक मूल्य निर्धारण एक ऐसी रणनीति है जिसमें व्यवसाय एक ही उत्पाद या सेवा के लिए अलग-अलग कीमतें वसूलते हैं, जो निम्न कारकों पर आधारित होती हैं:
  - स्थान
  - माँग में उतार-चढ़ाव
  - उपभोक्ता जनसांख्यिकी
  - खरीदारी व्यवहार
- यह मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण बाजार की गतिशीलता से प्रेरित होता है, जिससे कंपनियों को विभिन्न ग्राहक खंडों की सेवा करते हुए राजस्व का अनुकूलन करने की अनुमति मिलती है।

### विभेदक मूल्य निर्धारण के प्रकार

- **मूल्य स्थानीयकरण:** स्थानीय क्रय शक्ति या प्रतिस्पर्धा को दर्शाने के लिए कीमतों को समायोजित करना।
- **वास्तविक समय मूल्य निर्धारण:** मांग, प्रतिस्पर्धा और उपलब्धता के आधार पर कीमतों को गतिशील रूप से समायोजित करना।
- **सदस्यता-आधारित मूल्य निर्धारण:** दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के लिए छूट प्रदान करना।
- **मौसमी छूट:** छुट्टियों जैसी विशिष्ट अवधि के दौरान कीमतों को कम करना।
- **मात्रा छूट:** प्रति इकाई कम लागत के साथ थोक खरीद को प्रोत्साहित करना।

### कम्पनियां विभेदक मूल्य निर्धारण का उपयोग क्यों करती हैं?

- **राजस्व को अधिकतम करना:** अधिक भुगतान करने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों से अधिक कीमत वसूलना।
- **बाजार में पैठ बढ़ाना:** कम शुरुआती कीमतें नए ग्राहकों को आकर्षित करती हैं।



- **बल्क खरीद को प्रोत्साहित करना:** वॉल्यूम-आधारित मूल्य निर्धारण इन्वेंट्री को तीव्रता से साफ़ करता है।
- **लाभ मार्जिन बढ़ाना:** पीक डिमांड के दौरान उच्च कीमतें लाभप्रदता को अधिकतम करती हैं।
- **स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना:** स्थानीय क्रय शक्ति से मेल खाने के लिए कीमतों को समायोजित करना।

### नैतिक विचार

- **पारदर्शिता:** व्यवसायों को अपने मूल्य निर्धारण प्रथाओं के बारे में पारदर्शी होना चाहिए।
- **निष्पक्षता:** विभेदक मूल्य निर्धारण से ग्राहकों के किसी भी समूह के साथ भेदभाव या शोषण नहीं होना चाहिए।
- **उपभोक्ता संरक्षण:** व्यवसायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभेदक मूल्य निर्धारण प्रथाओं से उपभोक्ता कल्याण को हानि न पहुँचे।

### भारत में विभेदक मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव करने वाले या उनका शोषण करने वाले विभेदक मूल्य निर्धारण को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। धारा 2(47) उन प्रथाओं पर रोक लगाती है जो उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुँचाती हैं।
- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4:** प्रमुख खिलाड़ियों को भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण में लिप्त होने से रोकती है जो ग्राहकों का शोषण करती है या बाजार तक पहुँच को प्रतिबंधित करती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने विमानन और राइड-हेलिंग जैसे क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण प्रथाओं की जाँच की है।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** भोजन, ईंधन या दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण को कमी या आपात स्थिति के दौरान शोषण को रोकने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
- **पल्लवी रिफ़्रेक्टरीज बनाम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (2005):** उच्चतम न्यायालय ने विभेदक मूल्य निर्धारण को तब बरकरार रखा जब यह तर्कसंगत था और बाजार विभाजन या लागत अंतर जैसे स्पष्ट मानदंडों पर आधारित था।
- **बोटलबंद पानी का मूल्य निर्धारण:** 2017 में, सरकार ने स्पष्ट किया कि मल्टीप्लेक्स, हवाई अड्डों और खुदरा दुकानों में बेचे जाने वाले समान बोटलबंद पानी का कानूनी माप विज्ञान नियमों के अंतर्गत एक ही MRP होना चाहिए।

### विनियमन और निरीक्षण

- **सरकारी विनियमन:** सरकारों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण को विनियमित करना चाहिए।
- **उद्योग स्व-विनियमन:** उद्योग संघ नैतिक विभेदक मूल्य निर्धारण के लिए दिशानिर्देश विकसित कर सकते हैं।
- **उपभोक्ता जागरूकता:** विभेदक मूल्य निर्धारण प्रथाओं के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने से उन्हें सूचित निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है।

Source: TH

## मोस्ट फेवर्ड नेशन(MFN)

### संदर्भ

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) ढांचे के अंतर्गत, मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत के तहत सदस्य देशों को सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को समान व्यापार लाभ (जैसे, कम टैरिफ या बाजार पहुँच) प्रदान करके सभी व्यापार साझेदारों के साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता होती है।

### भारत-अमेरिका व्यापार के संदर्भ में MFN

- अमेरिकी व्यापार घाटे की चिंता:** अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत भारत के साथ अपने व्यापार घाटे (वित्त वर्ष 24 में 35 बिलियन डॉलर से अधिक) पर लगातार चिंता व्यक्त की है और ब्याज के उत्पादों, विशेष रूप से कृषि वस्तुओं पर कम टैरिफ की मांग की है।
- भारत का MFN अनुपालन:** 2023 में, भारत ने अमेरिकी मांगों के बाद जमे हुए टर्की, बत्तख, क्रैनबेरी और ब्लूबेरी पर आयात शुल्क कम करने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, MFN सिद्धांत के कारण, ये टैरिफ कटौती सभी WTO सदस्य देशों पर लागू हुई, न कि केवल अमेरिका पर।

### मोस्ट फेवर्ड स्टेट्स (MFN)

- उद्देश्य:** MFN सिद्धांत को देशों को एक भागीदार को दूसरे भागीदार की तुलना में अलग व्यवहार देने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
  - प्रत्येक सदस्य अन्य सभी सदस्यों के साथ समान रूप से "सबसे पसंदीदा" व्यापारिक भागीदार के रूप में व्यवहार करता है।
  - यदि कोई देश अपने एक व्यापारिक भागीदार को दिए जाने वाले लाभों में सुधार करता है, तो उसे अन्य सभी WTO सदस्यों के साथ भी वही "सर्वश्रेष्ठ" व्यवहार करना होगा ताकि वे सभी "सबसे पसंदीदा" बने रहें।
- सिद्धांत:** यह शक्ति-आधारित (द्विपक्षीय) नीतियों के घर्षण और विकृतियों को नियम-आधारित ढांचे की गारंटी के साथ बदलने का प्रयास करता है, जहाँ व्यापारिक अधिकार व्यक्तिगत प्रतिभागियों के आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव पर निर्भर नहीं होते हैं।
- WTO से बाहर के देश:** रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया एवं बेलारूस जैसे देश WTO का हिस्सा नहीं हैं और WTO के सदस्य वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किए बिना अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यापार उपाय लागू कर सकते हैं।
- अपवाद:** विकासशील देशों, क्षेत्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्रों और सीमा शुल्क संघों के साथ तरजीही व्यवहार की अनुमति देने के लिए अपवाद हो सकते हैं।

### मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट्स का निलंबन

- MFN स्टेट्स को निलंबित करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, यह औपचारिक रूप से सदस्यों को आयात शुल्क बढ़ाने या वस्तुओं पर कोटा लगाने या यहाँ तक कि उन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

- 2019 में भारत ने पाकिस्तान स्थित एक इस्लामी समूह द्वारा आत्मघाती हमले के पश्चात् पाकिस्तान की MFN स्थिति को निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान ने कभी भी भारत के लिए MFN का दर्जा लागू नहीं किया।

### मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट्स के निलंबन का अर्थ

- MFN का दर्जा रद्द करने से यह मजबूत संकेत जाता है कि सदस्य देश मान्यता निलंबन करने वाले देश को आर्थिक साझेदार नहीं मानते।
- सदस्य आयात शुल्क बढ़ा सकते हैं या वस्तुओं पर कोटा लगा सकते हैं, या उन पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं और देश से बाहर सेवाओं को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

Source: BL

### मृत्युदंड में सबसे दुर्लभ सिद्धांत

#### संदर्भ

- कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार एवं हत्या के लिए संजय राय को हाल ही में दोषी ठहराए जाने से व्यापक जन आक्रोश फैल गया है।
  - न्यायालय ने राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन कई लोग मृत्युदंड की माँग कर रहे हैं।

### भारत में मृत्युदंड: वर्तमान आँकड़े

- मृत्यु दंड या मृत्यु दंड, भारत में कानूनी दंड का सबसे कठोर रूप है।
- प्रोजेक्ट 39A की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में देश भर में ट्रायल कोर्ट द्वारा 120 मृत्यु की सज़ा सुनाई गई, जबकि वर्ष के अंत तक 561 कैदी मृत्यु की सज़ा पर बने रहे।
  - यह लगभग दो दशकों में मृत्यु की सज़ा पर दोषियों की सबसे अधिक संख्या है।
  - इसने यह भी नोट किया कि 2023 में केवल एक मृत्यु की सज़ा की पुष्टि की गई, जिससे यह 2000 के पश्चात् से अपीलीय न्यायालयों द्वारा मृत्यु की सज़ा की पुष्टि की सबसे कम दर वाला वर्ष बन गया।

### कानूनी ढाँचा

- भारतीय न्याय संहिता (BNS):
  - धारा 103 (IPC में धारा 302): हत्या;
  - धारा 71 (IPC में धारा 376A ): बलात्कार जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति लगातार वानस्पतिक अवस्था में चला जाता है;
  - धारा 147 (IPC में धारा 121): भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना;

### पक्ष में तर्क

- भारतीय विधि आयोग की 35वीं रिपोर्ट (1962) में मृत्युदंड को बरकरार रखने का समर्थन किया गया।
- यह एक निवारक के रूप में कार्य करता है, तथा अपराधी को आनुपातिक रूप से दंडित करके पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
- कानून और व्यवस्था बनाए रखना।

## मृत्यु दंड के विरुद्ध तर्क

- **कम अधिरोपण दर:** उच्चतम न्यायालय ने विगत 6 वर्षों में केवल 7 मामलों में मृत्युदंड की पुष्टि की है, जो सीमित उपयोगिता को दर्शाता है।
- **मनमानी:** व्यक्तिगत न्यायाधीशों के व्यक्तिपरक निर्णयों के कारण सज़ाएँ असंगत हो सकती हैं।
- **अमानवीय प्रकृति:** दोषियों और उनके परिवारों पर गंभीर मानसिक पीड़ा डालती है, मानवीय गरिमा के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
- **प्रक्रियात्मक खामियाँ:** सज़ा प्रक्रियाओं में कठोरता और पारदर्शिता की कमी निष्पक्षता को कम करती है।
- **आर्थिक असमानता:** मृत्युदंड की सज़ा पाने वाले 74.1% कैदी आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, जो प्रणालीगत असमानताओं को उजागर करता है।
- **वैश्विक रुझान:** वैश्विक स्तर पर दो-तिहाई से अधिक देशों ने कानून या व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है (एमनेस्टी रिपोर्ट, 2021)।

## प्रमुख सुधार और दिशा-निर्देश (बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस, 1980 के बाद)

- **'दुर्लभतम' सिद्धांत:** उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में ही लगाया जा सकता है, जहाँ अपराध इतना जघन्य हो कि कोई अन्य दंड पर्याप्त न हो।
- **बढ़ाने वाले और कम करने वाले कारक:**
  - बढ़ाने वाले कारकों में अपराध की क्रूरता, पीड़ित और समाज पर प्रभाव और अपराधी का पिछला रिकॉर्ड सम्मिलित है।
  - घटाने वाले कारकों में आरोपी की आयु, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की संभावना शामिल है।
- **समीक्षा और अपील प्रक्रिया:** इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा और अपील के कई स्तर शामिल हैं कि निर्णय निष्पक्ष एवं न्यायसंगत है।
  - इसमें अधिकार क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को दया याचिका दायर करने की संभावना शामिल है।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा:** इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि आरोपी को कानूनी प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई तक पहुँच प्राप्त हो।
- **MHA दिशा-निर्देश:** गृह मंत्रालय ने मृत्युदंड की सजा पाने वाले दोषियों के हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मृत्युदंड की सूचना और उसके निष्पादन के बीच न्यूनतम 14 दिनों की अवधि पर बल दिया गया है।

## नव गतिविधि

- नवंबर 2024 में, रिपोर्टों ने संकेत दिया कि भारत मनमाने दंड की आलोचनाओं को दूर करने के लिए अपने आपराधिक सजा मानदंडों में सुधार करने की योजना बना रहा है।
  - इसका उद्देश्य सजा को मानकीकृत करने के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली प्रारंभ करना है, जो ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों में प्रणालियों के साथ अधिक निकटता से संरेखित है।

Source: IE



## भारत केन्या का सबसे बड़ा चाय आयातक देश बन गया

### समाचार में

- भारत केन्या से चाय का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है, जिसका आयात 288% बढ़कर 3.53 मिलियन किलोग्राम (जनवरी-अक्टूबर 2023) से बढ़कर 2024 में इसी अवधि के दौरान 13.71 मिलियन किलोग्राम हो गया है।

### भारत का चाय उद्योग: वर्तमान स्थिति

- **वैश्विक रैंकिंग:** चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, जो वैश्विक चाय उत्पादन में 21% का योगदान देता है।
- **निर्यात:**
  - भारत चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका वैश्विक निर्यात में 12% भाग है।
  - भारत का चाय निर्यात भी जनवरी से अक्टूबर 2023 तक 184.46 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 2024 में इसी चरण के दौरान 209.14 मिलियन किलोग्राम हो गया।
  - शीर्ष निर्यात गंतव्यों में UAE, रूस, ईरान, U.S. और U.K. सम्मिलित हैं।
- **घरेलू बाजार:**
  - घरेलू खपत कुल उत्पादन का 80% है, जो भारत की चाय पीने की संस्कृति से प्रेरित है।
- **क्षेत्रीय उत्पादन:**
  - असम भारत की 55% चाय का उत्पादन करता है, जो इसे सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य बनाता है।
  - हालांकि, 2024 में भारत के कुल चाय उत्पादन में 50 मिलियन किलोग्राम की गिरावट आई, जिसमें असम को 20 मिलियन किलोग्राम की हानि हुई।

### भारतीय चाय का महत्त्व और क्षमता

- **आर्थिक योगदान:** भारतीय चाय उद्योग कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
  - यह महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा और सरकारी राजस्व उत्पन्न करता है।
- **वैश्विक प्रतिष्ठा:** मजबूत भौगोलिक संकेत, उन्नत चाय प्रसंस्करण सुविधाएं और अभिनव उत्पादों ने भारतीय चाय को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में स्थान दिया है।
- **रणनीतिक विकास क्षेत्र:** विस्तारित उत्पाद मिश्रण, मूल्य संवर्धन और रणनीतिक बाजार विकास ने भारतीय चाय की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है।

### भारत के चाय उद्योग के सामने चुनौतियाँ

- **स्थिर कीमतें और अधिक आपूर्ति:** मांग-आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर के कारण कीमतें स्थिर हो गई हैं, जिससे लाभप्रदता प्रभावित हुई है।
- **सस्ता आयात:** अन्य देशों से कम लागत वाली चाय के आने से गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं और निर्यात में गिरावट आई है।

- **बढ़ती इनपुट लागत:** कई चाय बागान बढ़ती लागत के कारण संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बंद करना पड़ रहा है या मूल कंपनियों से मिलने वाली सब्सिडी पर निर्भर होना पड़ रहा है।

### चाय के संबंध में

- **वानस्पतिक पृष्ठभूमि:** चाय एक सदाबहार फूल वाला पौधा है, जो अपनी पत्तियों और पत्तियों की कलियों के लिए बेशकीमती है, जिनका उपयोग विश्व के सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक बनाने के लिए किया जाता है।
- **खेती की आवश्यकताएँ:**
  - **मृदा:** अच्छी जल निकासी वाली मृदा जिसमें उच्च कार्बनिक तत्व और 4.5 से 5.5 का pH हो।
  - **जलवायु:** उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छी तरह से उगता है।
- **भारत में उत्पत्ति:** चाय के पौधे लगभग तीन शताब्दियों पहले चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा लाए गए थे।
- **भौगोलिक प्रसार:**
  - मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, लेकिन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी उगाया जाता है।
  - दार्जिलिंग चाय भारत के सबसे प्रतिष्ठित उत्पादों में से एक है और पहला GI (भौगोलिक संकेत) पंजीकृत उत्पाद है।

### भारतीय चाय बोर्ड

- **अवलोकन:** वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना 1953 के चाय अधिनियम के तहत की गई थी।
  - केंद्रीय चाय बोर्ड और भारतीय चाय लाइसेंसिंग समिति का स्थान लिया।
- **संरचना:** इसमें अध्यक्ष सहित 31 सदस्य शामिल हैं।
  - सदस्यों में सांसद, चाय उत्पादक, व्यापारी, दलाल, उपभोक्ता, राज्य प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियन शामिल हैं।
- **कार्य:** घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चाय को बढ़ावा देना।
  - चाय की खेती और निर्यात को विनियमित करना, अंतरराष्ट्रीय चाय समझौते जैसे वैश्विक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

### अनुशंसाएँ

- **निर्यात को बढ़ावा देना:** मूल्य निर्धारण में सुधार करने और प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय बाजारों को आकर्षित करने के लिए मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को मजबूत करना और खेती की तकनीकों में अनुसंधान और विकास को बढ़ाना।
- **वैश्विक बाज़ार:** चाय उत्पादकों को खरीदारों से प्रत्यक्षतः जोड़ने के लिए एक वैश्विक ई-बाज़ार की स्थापना करना।

- **सतत अभ्यास:** दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करना।
- **नीति समर्थन:** चाय बागानों को बनाए रखने के लिए लक्षित सब्सिडी, कौशल विकास और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

Source: TH

## 2025 में बच्चों के लिए संभावनाएँ: बच्चों के भविष्य के लिए लचीली प्रणालियों का निर्माण

### सन्दर्भ

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) की नवीनतम रिपोर्ट, 'प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन 2025: बिल्डिंग रेसिलिएंट सिस्टम्स फॉर चिल्ड्रन्स फ्यूचर्स' में चेतावनी दी गई है कि दुनिया बच्चों के लिए संकट के एक नए युग में प्रवेश कर रही है।

### रिपोर्ट के मुख्य अंश

- **संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी हो रही है:** 473 मिलियन से अधिक बच्चे - वैश्विक स्तर पर छह में से एक से अधिक - वर्तमान में संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं।
  - संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का अनुपात 1990 के दशक में 10% से बढ़कर आज लगभग 19% हो गया है, और विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे अधिक संघर्षों का गवाह बन रही है।
- **ऋण संकट बच्चों के भविष्य को हानि पहुँचा रहा है:** लगभग 400 मिलियन बच्चे ऋण के भार से ग्रस्त देशों में रहते हैं, यह आँकड़ा तत्काल वित्तीय सुधारों के बिना बढ़ने का अनुमान है।
- **जलवायु संकट और इसके परिणाम:** बहुपक्षीय जलवायु वित्त का केवल 2.4% बाल-उत्तरदायी पहलों के लिए आवंटित किया जाता है।
  - बच्चे जलवायु से संबंधित घटनाओं से असमान रूप से प्रभावित होते हैं, खाद्य असुरक्षा से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन तक।
- **प्रौद्योगिकी तक असमान पहुँच:** यद्यपि उच्च आय वाले देशों में इंटरनेट का उपयोग लगभग सार्वभौमिक है, अफ्रीका में 15-24 वर्ष की आयु के केवल 53% युवा ऑनलाइन हैं।
  - किशोर लड़कियां और विकलांग बच्चे सबसे अधिक बहिष्कार का सामना करते हैं, कम आय वाले देशों में 90% युवा महिलाएं अभी भी ऑफलाइन हैं।

### नीतिगत सिफारिशें

- **राष्ट्रीय योजना और नीति:** सरकारों को बच्चों की कमज़ोरियों और ज़रूरतों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में एकीकृत करना चाहिए।
- **जलवायु वित्तपोषण:** COP29 में की गई प्रतिबद्धताओं के बावजूद, बहुपक्षीय जलवायु वित्त का केवल 2.4% ही बच्चों के प्रति उत्तरदायी है, जो बच्चों को प्रभावित करने वाले नुकसान और क्षति को दूर करने के लिए अतिरिक्त और लक्षित वित्तपोषण की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

- **व्यापार विनियमन:** पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन (ESG) ढाँचों को बच्चों के लिए जोखिमों को स्पष्ट रूप से संबोधित करना चाहिए।
- कानूनी ढाँचों को अंतर-पीढ़ीगत समानता और बच्चों के स्थायी भविष्य के अधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए।

### बच्चों के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** संघर्ष और शोषण से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।
- **ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान:** संघर्ष से प्रभावित बच्चों सहित लापता बच्चों का पता लगाने और उनका पुनर्वास करने की पहल।
- **बच्चों के लिए PM केयर्स:** कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **डिजिटल इंडिया पहल:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना, बच्चों के लिए डिजिटल डिवाइड को कम करना।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP):** लैंगिक असमानताओं को दूर करते हुए किशोरियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** समानता सुनिश्चित करते हुए 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012:** शोषण और दुर्व्यवहार के विरुद्ध बच्चों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।

### आगे की राह

- 2025 में बच्चों का भविष्य ऐसी लचीली व्यवस्थाओं के निर्माण पर निर्भर करता है जो उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनकी कमज़ोरियों को दूर करना।
- आज बच्चों में निवेश को प्राथमिकता देकर, राष्ट्र एक सतत और न्यायसंगत कल को सुरक्षित कर सकते हैं।

Source: DTE

### नाइट्रोजन उपयोग दक्षता

#### संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप जैव विविधता की हानि हुई है तथा जलवायु परिवर्तन में वृद्धि हुई है।

#### परिचय

- नाइट्रोजन खाद्य घटकों का एक आवश्यक घटक है, विशेष रूप से अमीनो एसिड एवं प्रोटीन जो पौधों, जानवरों और मनुष्यों के विकास के लिए आवश्यक हैं।

- **पोषक तत्व उपयोग दक्षता (NUE) में सुधार करना महत्वपूर्ण है;**
  - नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना,
  - नाइट्रेट लीचिंग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जैसे पर्यावरण प्रदूषण को कम करना,
  - फसल की उत्पादकता बढ़ाना।

### अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- **नाइट्रोजन उपयोग की प्रवृत्ति:** मनुष्य कृषि और उद्योग के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 150 टेराग्राम (Tg) प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, जो कि पूर्व-औद्योगिक स्तरों से दोगुना है।
  - यह 2100 तक प्रति वर्ष 600 Tg तक बढ़ सकता है, जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में नाइट्रोजन की हानि को बढ़ाता है।
- **नाइट्रोजन प्रदूषण में योगदानकर्ता:** पशुधन खेती मानव-प्रेरित नाइट्रोजन उत्सर्जन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।
  - सिंथेटिक उर्वरक, भूमि-उपयोग में परिवर्तन और खाद उत्सर्जन नाइट्रोजन प्रदूषण को और बढ़ाते हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** नाइट्रोजन प्रदूषण उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में सबसे गंभीर है, जहाँ दशकों से उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है।
  - इसके विपरीत, कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, उर्वरकों तक सीमित पहुँच से नाइट्रोजन की कमी, मृदा का क्षरण और फसल उत्पादकता में कमी आती है।

### नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभाव

- **स्वास्थ्य प्रभाव:**
  - यह रक्त की ऑक्सीजन-वहन क्षमता को कम करके शिशुओं में मेथेमोग्लोबिनेमिया (ब्लू बेबी सिंड्रोम) का कारण बनता है।
  - यह लंबे समय तक नाइट्रेट के संपर्क में रहने से कैंसर, प्रजनन संबंधी समस्याओं और थायरॉयड समस्याओं से जुड़ा हुआ है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - यह जल निकायों में यूट्रोफिकेशन, हानिकारक शैवाल खिलने और ऑक्सीजन-रहित "मृत क्षेत्रों" की ओर ले जाता है।
  - यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।

### नीतिगत अनुशंसाएँ

- **उर्वरक उत्पादन:** उर्वरक उद्योग को नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन के दौरान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना चाहिए।
  - भंडारण, परिवहन और अनुप्रयोग के दौरान होने वाले व्यर्थ हानि को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **जैविक नाइट्रोजन निर्धारण:** सरकारों को संधारणीय फसल चक्रण के माध्यम से नाइट्रोजन निर्धारण को बढ़ाने के लिए सोयाबीन और अल्फाल्फा जैसी फलीदार फसलों को बढ़ावा देना चाहिए।



- **राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताएँ:** पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और शमन कार्यों में संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन को एकीकृत करना।
- **संधारणीय अभ्यास:** उच्च दक्षता, कम उत्सर्जन वाले उर्वरकों में निवेश को प्रोत्साहित करें और सिस्टम दक्षता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए जैविक अवशेषों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।

### निष्कर्ष

- सतत नाइट्रोजन प्रबंधन 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए अभिन्न अंग है, विशेष रूप से भूख उन्मूलन, स्वास्थ्य सुधार, स्वच्छ जल, जलवायु कार्रवाई और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले लक्ष्य।
- सलिए सरकारों, उद्योगों एवं व्यक्तियों को सामूहिक रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि सभी के लिए एक लचीला और सतत भविष्य सुनिश्चित हो सके।

Source: **FAO**

## संक्षिप्त समाचार

### नैवाशा झील (Lake Naivasha )

#### समाचार में

- केन्या की नैवाशा झील में जलकुंभी के आक्रमण से स्थानीय मछुआरों के लिए गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जो आक्रामक प्रजातियों के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।

#### नैवाशा झील के संबंध में

- नैवाशा झील केन्या की ग्रेट रिफ्ट घाटी में स्थित एक स्वच्छ जल की झील है।
- झील को मुख्य रूप से बारहमासी मालेवा और गिलगिल नदियाँ जल देती हैं, जो मध्य केन्या में एबरडेयर पर्वत से प्रवाहित होती हैं।
- इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में इसके महत्व पर बल देता है।

#### जलकुंभी के संबंध में

- जलकुंभी (इचोनिया क्रेसिप्स) दक्षिण अमेरिका का एक जलीय पौधा है, जिसे 1980 के दशक में केन्या में लाया गया था।
- यह प्रदूषित जल में पनपता है, क्योंकि यह दूषित पदार्थों की उपस्थिति में तेजी से बढ़ता है, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे आक्रामक जलीय पौधों की प्रजाति बन जाती है।

Source: **TH**

## रोडामाइन बी (Rhodamine B)

### संदर्भ

- भारत में खाद्य पदार्थों में रोडामाइन बी के बड़े पैमाने पर उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।

### रोडामाइन-बी क्या है?

- रोडामाइन-बी या RhB एक रसायन है जिसका उपयोग सामान्यतः कपड़ा, कागज, चमड़ा और पेंट उद्योग में रंगाई के लिए किया जाता है, जो लाल एवं गुलाबी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में सहायता करता है।
- पाउडर के रूप में यह रसायन हरे रंग का होता है और जल में डालने पर गुलाबी हो जाता है।
- इसका उपयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों के निर्माण, पैकेजिंग, आयात और बिक्री में खाद्य योज्य के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है।

### यह हानिकारक क्यों है?

- अध्ययनों के अनुसार, यदि कम मात्रा में भी इसका सेवन किया जाए, तो यह रसायन अत्यधिक विषैला और कैंसरकारी होता है।
- यदि इसका नियमित सेवन किया जाए, तो रोडामाइन-बी मस्तिष्क में सेरिबेलम ऊतक और मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने वाले ब्रेनस्टेम को गंभीर हानि पहुंचा सकता है।
- यह क्षति कार्यात्मक असामान्यताओं को जन्म दे सकती है और मानव मोटर कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार, शादी समारोहों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोडामाइन-बी युक्त खाद्य पदार्थों को तैयार करना, पैकेजिंग करना, आयात करना, बेचना एवं परोसना दंडनीय अपराध है।
- 2024 के प्रारंभ में, तमिलनाडु और कर्नाटक ने नमूनों में हानिकारक डाई रोडामाइन बी का पता लगाने के बाद कॉटन कैंडी एवं कुछ स्ट्रीट फूड पर प्रतिबंध लगा दिया।

Source: TH

## 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत (GI) टैग

### संदर्भ

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत (GI) टैग तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

### परिचय

- विभाग द्वारा अब तक जारी किए गए GI टैग की संख्या 605 है।
- विगत 10 वर्षों में GI टैग के लिए अधिकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 365 से बढ़कर 29000 हो गई है और दिए गए पेटेंट की संख्या 6000 से बढ़कर 100000 हो गई है।

### GI टैग क्या है?

- भौगोलिक संकेत (GI) उन उत्पादों पर प्रयोग किया जाने वाला चिह्न है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें ऐसे गुण या प्रतिष्ठा होती है जो उस उत्पत्ति के कारण होती है।
- GI बौद्धिक संपदा अधिकारों का भाग हैं जो औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं।
- **भारत में प्रशासन:** GI पंजीकरण 1999 के भौगोलिक संकेत वस्तु (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- **उत्पाद:** कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, शराब और स्पिरिट पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पाद।
- **वैधता:** 10 वर्ष की अवधि के लिए, इसे समय-समय पर 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
- **संबंधित तथ्य:** देश में प्रथम GI टैग दो दशक पहले प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय को दिया गया था।
  - उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक GI-टैग वाले उत्पादों वाले राज्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है, जो कुल 75 तक पहुँच गया है।
  - तमिलनाडु 58 GI उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है।

### GI टैग के लाभ

- यह भारत में भौगोलिक संकेतकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है।
- दूसरों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
- यह भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है।

Source: PIB

### धनौरी जलाशय (Dhanauri Water Body)

#### संदर्भ

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनौरी जलाशय को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की स्थिति को रिकॉर्ड में पेश करने का निर्देश दिया।


#### परिचय

- जबकि राज्य सरकार झीलों और जल निकायों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उन्हें आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित कर सकती है, रामसर साइट को केंद्र द्वारा अंतिम मंजूरी दी जाती है।
- ईरान में हस्ताक्षरित 1971 की अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन संधि के तहत, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के आधार पर एक निश्चित मानदंड को पूरा करने वाली आर्द्रभूमि को विशेष संरक्षण उपायों के लिए चुना जाता है।

#### धनौरी जलाशय

- यह यमुना नदी के 15 किलोमीटर के अंदर यमुना बेसिन के बाढ़ के मैदानों में बसा हुआ है।
- यह जेवर हवाई अड्डे के पास स्थित है।

- यह सारस क्रेन हॉटस्पॉट है जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है और संवेदनशील (IUCN स्थिति) है।
- चिंताएँ:** मई 2021 में धनौरी पूरी तरह सूख गई थी,
  - दिसंबर 2021 में एक सारस क्रेन और चूजा मृत पाया गया था, और
  - मई 2021 में अतिक्रमण और भूमि उपयोग को बदलने के प्रयासों की सूचना मिली थी।



### आर्द्रभूमि क्या है?

- आर्द्रभूमि वह जगह होती है, जहाँ की ज़मीन पानी से ढकी होती है - खारा, ताज़ा या इनके बीच का कोई भी हिस्सा - या तो मौसमी रूप से या स्थायी रूप से।
- यह अपने अलग पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- इसमें झीलें, नदियाँ, भूमिगत जलभृत, दलदल, गीले घास के मैदान, पीटलैंड, डेल्टा, ज्वारीय मैदान, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और अन्य तटीय क्षेत्र जैसे जल निकाय शामिल हैं।
- इन आर्द्रभूमि को तीन खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, तटीय आर्द्रभूमि और मानव निर्मित आर्द्रभूमि।
- आर्द्रभूमि में कई तरह की प्रजातियाँ रहती हैं।

Source: IE

## डीप ओशन मिशन के अंतर्गत भारत की प्रथम मानव-संचालित पनडुब्बी

### समाचार में

- भारत डीप ओशन मिशन के भाग के रूप में अपनी प्रथम मानव-संचालित जलमग्न पनडुब्बी तैनात करने की तैयारी कर रहा है।

### पनडुब्बी का परिचय

- पनडुब्बी प्रारंभ में 500 मीटर तक की गहराई पर कार्य करेगी, भविष्य में इसकी पहुंच 6,000 मीटर तक बढ़ाने की योजना है।
- इसका उद्देश्य जल के नीचे के संसाधनों की खोज करना, गहरे समुद्र के



पारिस्थितिकी तंत्र की समझ को बढ़ाना और भारत की नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

- इसके मुख्य उद्देश्यों में महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ धातुओं और नई समुद्री जैव विविधता की पहचान करना, टिकाऊ मत्स्य पालन एवं संरक्षण में योगदान देना शामिल है।

### डीप ओशन मिशन

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 7 सितंबर, 2021 को डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया।
- यह कैबिनेट द्वारा स्वीकृत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इस मिशन के अंतर्गत एक प्रमुख परियोजना, समुद्रयान, MATSYA 6000 मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करने पर केंद्रित है।
- मिशन में गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्वायत्त अंडरवाटर व्हीकल (AUV) ओशन मिनरल एक्सप्लोरर (OMe 6000) की तैनाती भी शामिल है।

**Source: AIR**

### मेमेकॉइन्स (Memecoins)

#### समाचार में

- डोनाल्ड ट्रम्प और मेलानिया ट्रम्प ने अपने मेमेकॉइन लॉन्च किए - \$ट्रम्प और \$मेलानिया।

#### मेमेकॉइन क्या है?

- मेमेकॉइन्स ऐसी क्रिप्टोकॉइन्स हैं जो प्रायः इंटरनेट मेम्स पर आधारित मज़ाक के तौर पर बनाई जाती हैं और सामान्यतः इनमें आंतरिक मूल्य की कमी होती है।
- इन्हें Pump.fun जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति मुफ्त में बना सकता है और प्रायः प्रचार और सार्वजनिक रुचि के माध्यम से इनका मूल्य बढ़ता है।
- कोई भी व्यक्ति सोलाना या एथेरियम जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क का उपयोग करके मेमेकॉइन बना सकता है।
- डॉगकॉइन और शिबा इनु जैसे मेमेकॉइन्स ने वायरल मार्केटिंग और हाई-प्रोफाइल एंडोर्समेंट के ज़रिए लोकप्रियता प्राप्त की।
- **पारंपरिक क्रिप्टोकॉइन्स से अंतर:** मेमेकॉइन पारंपरिक क्रिप्टोकॉइन्स (जैसे बिटकॉइन) से अलग हैं क्योंकि उनका कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता है।
  - मेमेकॉइन्स का मूल्य सट्टा व्यापार, प्रभावशाली प्रचार और सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से बढ़ सकता है।
  - मार्केट कैप ट्रेडिंग वॉल्यूम और मांग पर आधारित होते हैं, अंतर्निहित मूल्य या परिसंपत्तियों पर नहीं।
- **मेमेकॉइन्स का व्यापार:** मेमेकॉइन्स की लिक्विडिटी लिक्विडिटी पूल के माध्यम से बनाई जाती है, जहाँ मेमेकॉइन और एक ज्ञात क्रिप्टोकॉइन्स (जैसे, ईथर) दोनों जमा किए जाते हैं।
  - यह एक प्रारंभिक मूल्य निर्धारित करता है और सिक्के के बाजार मूल्य को स्थापित करने में सहायता करता है।



- **मेमेकाईन्स के जोखिम:** मेमेकाईन्स अत्यधिक अस्थिर होते हैं और इन्हें धोखाधड़ी वाली योजनाओं से जोड़ा गया है, जिनमें "पंप-एंड-डंप" और "रग पुल" घोटाले सम्मिलित हैं, जहां निर्माता धन निकाल लेते हैं, और निवेशकों के पास बेकार के सिक्के छोड़ जाते हैं।

Source: IE

## कश्मीर चिनार (Kashmir Chinars )

### समाचार में

- जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रतिष्ठित चिनार वृक्षों के संरक्षण के लिए "डिजिटल वृक्ष आधार" कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

### कश्मीर चिनार (प्लैटैनस ओरिएंटलिस) का परिचय

- कश्मीर चिनार (प्लैटैनस ओरिएंटलिस), ग्रीस और दक्षिणी यूरोप में पाया जाता है, जो पूरे कश्मीर में, विशेष रूप से पूर्वी हिमालय में पनपता है।
- यह चार चिनार से प्रसिद्ध है, जो श्रीनगर के डल झील पर एक द्वीप है, जिसका नाम वहाँ वर्तमान चार चिनार के पेड़ों के नाम पर रखा गया है।
- वे 30 मीटर तक बढ़ सकते हैं, पूरी ऊँचाई तक पहुँचने में लगभग 150 वर्ष लगते हैं।

### अनुप्रयोग

- **औषधीय उपयोग:** पेड़ के विभिन्न भागों, जैसे छाल और पत्तियों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है।
- **लकड़ी:** इसकी टिकाऊपन और सौंदर्य अपील के कारण लकड़ी को आंतरिक फर्नीचर बनाने के लिए बेशकीमती माना जाता है।
- **रंग उत्पादन:** पेड़ का उपयोग प्राकृतिक रंगों की तैयारी में भी किया जाता है।
- **सांस्कृतिक महत्त्व:** चिनार के पेड़ को प्रायः कश्मीर का प्रतीक माना जाता है, जो इसके इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता में गहराई से निहित है।

Source: TH

## CBP वन एंटी प्रोग्राम

### समाचार में

- डोनाल्ड ट्रम्प ने CBP वन ऐप को बंद कर दिया, जो प्रवासियों को अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर शरण मांगने के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की अनुमति देता था।
  - यह आव्रजन को कम करने के उद्देश्य से कार्यकारी आदेशों के व्यापक सेट का हिस्सा है।

### CBP वन ऐप

- इसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था और इसने शरण चाहने वालों के लिए एक जटिल प्रणाली को बदल दिया तथा मैक्सिको, क्यूबा, हैती, निकारागुआ एवं वेनेजुएला के प्रवासियों को आव्रजन अधिकारियों के साथ साक्षात्कार निर्धारित करने की अनुमति दी।

- इसने आठ सीमा चौकियों पर 1,450 दैनिक नियुक्तियाँ प्रदान कीं, जो कानूनी शरण आवेदनों के लिए एकमात्र मार्ग के रूप में कार्य करता है।
- इसने आव्रजन पैरोल देने की एक प्रणाली प्रदान की, जिससे प्रवासियों को तत्काल मानवीय कारणों या महत्वपूर्ण सार्वजनिक लाभों के लिए पूर्ण प्रवेश के बिना अस्थायी रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति मिली।

**Source:IE**

S

■■■■

